

7/2/18

(भा.पु.)

ZPDR 7A4

2012/00184

सरवर्क  
राजस्थान सरकार

29/8/12

11/3/12

20/1/12

6.3.12

15.4.12

न्यायालय.....

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	नाम मौजा	तारीख फैसल	नम्बर फैसल
712 RJA पु/047	59/12	12/6/12		13/2-2.17 का फैसला	18/6/13 20/2/13 22/9/13 19-11 18/2/14 24-6 23-9 24-12 11-5 4/0/16 22-3 15/0/2016

20/7/12

17/8/12

19/1/12

अनवान

श्री/श्रीमती/पुत्र/किशोरी

राजस्थान

राजस्थान

वनाम

श्री/श्रीमती/पुत्र/किशोरी

राजस्थान

राजस्थान 28/12/16

निगराकार/प्रार्थी/अपी.

कार्यवाही अन्तर्गत धारा.....

अप्रार्थी/रेस्पो.

राजस्थान

श्री/श्रीमती/पुत्र/किशोरी

राजस्थान

K-C TAMBOLI

ए. श्री/श्रीमती/पुत्र/किशोरी

15/5/17

12/9/17

राजस्थान

18/8/17

12/9/17 लुण्ठण करि के उपाजिनी डीमान 10 (10) के  
(फागल) होने से 45 रिक्त है पनाय  
वाले वाम प्रपत्र दिनांक 21/11/17 को पेश  
हो।

*[Signature]*  
रीट

21/11/17

बनवली प्रसुत हुई, अमि. वाली प्रतिमादी उपरिचयत  
रीटमीन अधिकादी युगाव का *[Signature]*  
बनवली करते *[Signature]* अतः दिनांक 18/11/17  
को पेश हो।

*[Signature]*  
आजा से  
रिक्त मय प्रपत्र अधिका

18-12-2017

पनायली पेश हुई उमर पक्ष उपेय उमर  
पक्ष की वारिस सुनी गई। वकील पनाय न  
वारिस के वारिस कि शम 242222 की आं. न  
771-775-768 पर पनाय के वजन वाले  
दिसने की सीमा तक उमर वजन का 20  
में जाया नही पहुंचाने उमर बकरत वारिस  
नं 242222 व न अन्य सी कराने वारिस  
अस्पाई निषेधाज्ञा का आदेश दिशावा कराने।

वकील अनाया न पनाय के दिसने की सीमा तक  
अस्पाई निषेधाज्ञा जारी करने में अस्पाईरीट

अतः पनाय 242222 के अनाया से 47  
की आं. नं. 771, 775, 768 पुनः किता 3  
दस्ता उकीया 18 वीरवा पर विपरीतगो  
के विरुद्ध पनाय के वजन वाले दिसने की  
सीमा तक सीके की पनायवाती बनाये

उमर के सुन वारिस के निरुत्तर लक्ष  
अंतिम आदेश अस्पाई निषेधाज्ञा का जारी  
किया जाना है पनायली पेश का सुन लेका  
बनवली कराने की सुन वारिस के साथ सलान  
किया जायें आदेश सुनाया गया। उप जि. मजिस्ट्रेट  
मा. नं. 10/17